मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 500/– रू प्रतिमाह सहायता राशि हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

1. बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
2. छः वर्ष से अधिक आयु होने संबंधी आयु प्रमाण पत्र होना चाहिये।
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार अपनी निःशक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन अनिवार्य हो।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया–

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रकिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) • स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची • जन्म प्रमाणपत्र • मतदाता सूची • स्वयं का मतदाता परिचय पत्र • मनरेगा जॉब कार्ड	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर